पकड़ना शुरु किया हैं जो उनकी मदद करते थे। यह तथ्य सही नहीं है।

श्री एस० एस० आहलूवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय यादव जी ने जो विशेष उल्लेख किया हैं मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं क्योंकि मैं उस घटना के बारे में बहुत अच्छा तरह जानता हूं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मुझे वहां इंक्वायरी के लिए भेजा था जबकि पीलीभीत में बस से उतारकर तीर्थ यात्रियों की हत्या कर दी गयी थी। सुरेश पचौरी जी, अदरार अहमद जी और हम लोग गए थे। वहां वही एस०पी० इनवोल्व था जिसने मलयाना में मुसलमानों को कटवाकर पत्थर बंधवाकर दरिया में फिकवा दिया था और वह वही एस०पी० था जिसने तीर्थ यात्रियों को उतारकर बिना लाश की शिनाख्त किए पंजाब के उग्रवादियों का नाम लेकर थाने के अंदर कैम्पस में उनको जला दिया गया उनका संस्कार कर दिया गया। इसकी इंक्वारी की गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज . . . (**व्यवधान**) . . . सरकार के पास में पैसे की कमी होने की वजह से वहां के सिख जो संपन्न समाज के हैं उन्होंने वहां जो 10 गांव के बीचकार एक दरिया है उस पर ब्रिज बनाने के लिए वहां के संतों और महात्माओं ने कार सेवा शुरु की। वे ब्रिज बना रहे थे। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप महाराष्ट्र में जानते हैं नांदेड़ में भी ऐसे ब्रिज बनाए गए है सिख समाज की तरफ से और वह भी बनाया जा रहा था लेकिन वह उग्रवादियों की सहयाता के लिए बन रहा है कहकर ऐसा उस ब्रिज को इन्होंने रुकवा दिया।

श्री संघ प्रिय गौतम : उग्रवादियों के पैसे से बन रहा था।

श्री एस०एस० अहलुवालिया : इन्होंने असत्य तथ्यों को सामने रखा है। वहां हिंदू मुसलमान और जो सब लोग रहते हैं उनके सबके सहयोग से ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था वह सारा काम रुकवा दिया है इन्होंने। वहां गुरुद्वारों का पैसा इकट्ठा हो रहा है और वह समाज सेवा के लिए लग रहा है। वहां के सिख लोगों की संपन्नता से आप लोगों को जलन हैं जैलिसी हैं इसलिए आप वहां आंदोलन कर रहे हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : हमें उतनी ही मोहब्बत है सिखों से जितनी कि आपको हैं लेकिन उग्रवाद को बढ़ाने नहीं दिया जाएगा। चाहे वह किसी भी धर्म का आदमी हो जो आतंकवादियों की मदद करेगा उसके खिलाफ कायवाही की जाएगी। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

Decision of the Madhya Pradesh Government to stop giving: awards in the name of Shrimati Indira Gandhi

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की पटवा सरकार पुरस्कार प्रदान में किस प्रकार से संकीर्णता रुख अपनाए हुए हैं, विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री विशनु कांत शास्त्री (उत्तर प्रदेश) क्या राज्य पुरस्कारों के बारे में इस तरह से सवाल उठाए जा सकते हैं?

श्री सुरेश पचौरी : आप पूरी बात सुनिए शास्त्री जी। हालांकि आप आयु में बुजुर्ग हैं, लेकिन शायद संसद में अभी नए-नए हैं।

. . . (**व्यवधान**) . . .

उपसभाध्यक्ष (**श्री जगेश देसाई**) : आप बोलिए, बोलिए।

श्री सुरेश पचौरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीया इंदिरा गांधी के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कारों को समाप्त कर दिया है। हमारे सम्मानित सदस्य ने जो बात उठायी है कि राज्य सरकारों के पुरस्कारों के बारे में चर्चा नहीं हो सकती, मैं कहना चाहूंगा कि यह मात्र राज्य स्तरीय पुरस्कारों से संबंधित बात नहीं है बल्कि इंदिरा गांधी जी के नाम

[श्री सुरेश पचौरी]

पर राज्य स्तरीय पुरस्कार तो दिए ही जाते थे, राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाते थे। राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार के तहत 50 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते थे। सन 84 से ये पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते रहे हैं। मेरे पास उन पुरस्कारों को प्राप्त करने वालों की सूची है। सबसे पहला पुरस्कार बाबा आमटे को 84-85 में मिला। फिर सरगुजा की राजमोहनी देवी को मिला। फिर रायगढ़ के दहेला गुरुजी को मिला, 86-87 का अमरावती के शेख वजीद पटेल को मिला। ग्वालियर के मंगल सिंह यादव को 87-88 का पुरस्कार मिला। इसी प्रकार राज्य स्तरीय पुरस्कार भी अंजनी वाकड़कर, कामता ब्रहिन त्यागी, सुकुमार पगारे जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और बस्तर की कुमारी नाज खान को मिला है।

मान्यवर, उसके बाद से ये पुरस्कार 88-89, 89-90 के अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें तीन सदस्य रखे गए थे, एक भारतीय जनता पार्टी के मेरे अपने भोपाल के ही निर्वाचित लोकसभा सदस्य आदरणीय सुशील चंद वर्मा उसके सदस्य हैं, दूसरे दिल्ली के श्री जे०एन० कपूर उसके सदस्य हैं और तीसरे कस्तूरबा ट्रस्ट के श्री मैनन उसके सदस्य हैं। सदस्यों के मामले में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात पर है कि उस समिति की बैठक आज तक नहीं हुई और चूंकि उसकी बैठक नहीं हुई तो कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सका और इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो पुरस्कार दिए जाते थे राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य-स्तर पर, वह पुरस्कार अभी तक प्रदान नहीं किए जा सके हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि अभी तक तो समिति की मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इंदिरा गांधी जी के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार बंद कर दिए जाएं। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री शिव प्रताप जनपुरिया (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात यहां पर की जा रही है। राज्य-शासन ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है कि इंदिरा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार बंद किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If it is wring, I will allow somebody from your side. Please sit down now.

श्री सुरेश पचौरी : मैं चाहता हूं कि सारी बातें इनकी रिकार्ड पर आएं। बोलिए आप, क्या गलत बात है?

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : आप राज्य शासन का कोई आदेश बताना चाहेंगे माननीय सदस्य?

श्री सुरेश पचौरी : आप नहीं जानते, गुप्ता जी। आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहा है कि आप कहिए कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी जी के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार बंद नहीं किए हैं, आप इतना बोल दीजिए।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : कोई पुरस्कार बंद नहीं किए गए।

श्री सुरेश पचौरी : इंदिरा गांधी जी के नाम पर, बोलिए।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : इंदिरा गांधी के नाम पर भी, जब मीटिंग ही नहीं हुई तो पुरस्कार कहां से दिए जाते। मीटिंग के लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं हैं। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, इसका मतलब, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी जी के नाम पर जो पुरस्कार दिए जाते रहे थे राज्य-स्तर पर और राष्ट्रीय

स्तर पर, वह दिए जाएंगे? केवल मैं आपसे यही आग्रह करता हूं। ... (**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): ठीक है, छोड़ो आप।

He cannot answe that

श्री सुरेश पचौरी: नहीं, यह कह रहे हैं कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: सुरेश पचौरी जी, यह कोई विधान सभा नहीं है भोपाल की। ..(**व्यवधान**).. यह सवाल वहां का विधानसभा में रखना चाहिए। ...(**व्यवधान**)..

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया: राज्य सरकार ने बंद नहीं किए हैं कोई भी पुरस्कार। कोई गलतबयानी माननीय सदस्य न करें। केवल सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी बात उठाते हैं। ...(**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): मान्यवर, इन्दिरा गांधी जी किसी पार्टी की नेता नहीं थीं, समचे राष्ट्र की नेता थीं और विश्व की प्रसिद्ध नेता इन्दिरा गांधी जी के नाम पर जो पुरस्कार स्थापित किए गए, उनको पिछले दो साल से, जबसे इनकी सरकार आई है, इन्होंने किसी न किसी बहाने, कमेटी बना ली उसके बाद, कमेटी की बैठक नहीं बुलाते हैं और पुरस्कार नहीं देते हैं। यह शर्मनाक बात है। ...(**व्यवधान**)..

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: पुरस्कार के लिए योग्य पात्र नहीं होंगे।

श्री अजीत जोगी: इसे रिकार्ड में लिखा जाए कि भारत में इन्दिरा गांधी के नाम पर जो पुरस्कार स्थापित किया गया है, उसको प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत में, इतने महान देश में एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। इस बात को रेखांकित करके लिखा जाए। ...(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Yes, his remarks are very bad. There is nobody in. the country who deserves that award? His remarks are bad.

श्री विष्णुकान्त शास्त्री: बैठक बुलाई जाए, इसका तो मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन यह आप मत कहिए कि बैठक न बुलाने के लिए बहाने करते हैं। ... (**व्यवधान**)...

श्री अजीत जोगी: आदरणीय शास्त्री जी, कृपया फोन पर चर्चा कर लें फिर इधर बोलिए। ...(**व्यवधान**) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): त्यागी जी, बैठ जाइए। बोलिए पचौरी जी, अभी आपका खतम नहीं हुआ है।

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, यद्यपि राज्य शासन ने तो यह निर्णय ले लिया है कि इन्दिरा गांधी जी के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार न दिए जाए, लेकिन...(**व्यवधान**)...

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: आप कोई आदेश बताने का कष्ट करेंगे, जब आप यह आरोप लगा रहे हैं? ...(**व्यवधान**) ...

श्री अजीत जोगी: आप बताइए, पिछले दो साल में आपने कोई पुरस्कार दिया है, इन्दिरा गांधी जी के नाम पर जो स्थापित पुरस्कार है? जबसे आपकी सरकार आई है, आपने किसी को पुरस्कार दिया है? ...

श्री विष्णुकान्त शास्त्री: आपके मुख्य मंत्री ने पांच-पांच साल तक पुरस्कार नहीं दिए हैं, मैं प्रमाणित कर सकता हूं और आप केवल दो साल की बात करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: गुप्ता जी के नगर यानी मेरे नगर भोपाल से प्रकाशित समाचार पत्रों के संपादकीय में यह लिखा गया है। शासन का ध्यान इस संबंध

[श्री सुरेश पचौरी]

में आकर्षित हुआ होगा, लेकिन शासन ने इस संबंध में कोई खण्डन नहीं किया है। यदि राज्य शासन ने यह निर्णय नहीं लिया है तो इन समाचार-पत्रों के खिलाफ संपादकीय लिखने पर कार्यवाही की जा सकती थी ?

मान्यवर, संभव है आदरणीय सदस्य भी मेरी पीड़ा को समझ रहे हैं। मेरे स्वर में अपना स्वर मिला रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी के नाम पर जारी पुरस्कार बंद नहीं होना चाहिए। हो सकता है राज्य शासन पुनर्विचार करेगा और इंन्दिरा गांधी जी के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कारों को फिर जारी रखेगा राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य शासन स्तर पर, केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात होती है कि किसी-किसी राजनीति दल की सत्ता आती है, किसी की जाती है, लेकिन संकीर्ण मनोवृत्ति के आधार पर राजनीति से प्रेरित होकर इस प्रकार के निर्णय लिए जाना निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude now. It has taken much time.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं निवेदन करता हूं ...(**व्यवधान**) माननीय सदस्य लगातार आरोप लगा रहे हैं अब उसका खंडन करना जरूरी है । मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने कोई पुरस्कार बंद नहीं किया। इतना ही नहीं लाल बहादुर शास्त्री जी के पुतले भारतीय जनता पार्टी के समय लग रहें हैं । केवल पुरुस्कार नहीं, हम तो उनके पुतले लगा रहे हैं । आपने कोई पुतले नहीं लगाए 40 साल के अंदर भोपाल शहर में कोई पुतला नहीं लगाया एक जवाहर लाल नेहरू जी के पुतले के अलावा आपका प्रेम हमें मालूम है । टंडन की जयंती आपकी पार्टी ने कभी नहीं मनाई ...(**व्यवधान**) मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने टंडन जी की जयंती भी मनाई ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI). He is talking about Smt. Indira Gandhi. And will not allow anybody to intervene without my permission.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You don't ask him any question.

श्री सुरेश पचौरी : 110वीं थी यदि आप यह कहें कि टंडन जी की हम लोगों ने जन्म-तिथि नहीं मनाई तो प्रदेश कांग्रेस कमैटी के कार्यालय में टंडन जी की जो 110वीं जन्म-तिथि थी वह हमने मनाई और 72वीं लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्य-तिथि मनाई एक अगस्त को ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Don't reply to him.

श्री सुरेश पचौरी । उसमें मैं स्वयं उपस्थित था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश देसाई) : नहीं, अभी हो गया । ...(**व्यवधान**)

श्री सुरेश पचौरी : अभी बातें हो रही हैं । तो मैं यह आग्रह कर रहा था आपके माध्यम से मैं केंद्रीय सरकार से विनती करता हूं कि वह हस्तक्षेप करे कि मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो पुरुस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते थे और जो पिछले दो सालों से नहीं दिए गए वह तो दिए ही जायें और आगे भी इंदिरा गांधी जी के नाम पर पुरुस्कार दिए जाते रहें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री अजीत जोगी : मैं इस विशेष उल्लेख का समर्थन करता हूं...(**व्यवधान**) केवल सम्बद्ध करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No further discussion.

SHRI AJIT P. K JOGI: I am associating myself.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Okay.

NON-PAYMENT OF FERTILIZER BILLS BY BIHAR GOVERNMENT TO HINDUSTAN FERTILIZER COR PORAION LIMITED

श्री एस०एस० अहलूवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

जिस फर्टिलाइजर प्लांट के लिए इसमें कुछ कमियां थीं क्योंकि बिहार स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से रेगुलर सप्लाई नहीं मिलती थी और बहुत ज्यादा इन्टरप्शन होते थे जहां पर कि इसकी क्षमता करीब 3 लाख 30 हजार मैट्रिक टन यूरिया और एक लाख 51 हजार मैट्रिक टन नाइट्रोजन बनाने की क्षमता है और इसको समय-समय पर बिजली के अभाव के कारण इसकी बहुत सारी मशीनें खराब हो चुकी थीं या कमजोर हो गई थीं उनको ठीक-ठाक करने के लिए और माडर्नाईज करने के लिए भारत सरकार ने इस वक्त 1988 में एक कंसलटेंसी आर्गेनाइजेशन को जो डेनमार्क की है ट्रल्डोरेंट टोस्टों, इस कंपनी को टर्न की बेसिस पर काम करने के लिए अनुरोध किया था और उन्होंने उस वक्त अपना एस्टीमेट करके बताया था । कुछ और भी जितने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर के प्लांट हैं उनको ठीक-ठाक करने के लिए और बरौनी यूनिट के लिए बताया था कि इसको रिवाइव करने के लिए 58 करोड़ रुपया देने से यह तुरंत फिर से वायबल हो जाएगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने भी इसको और कमजोर कर दिया । बिहार सरकार जो फर्टिलाइजर इस हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कंपनी से फर्टिलाइजर खरीदती है बिस्कोमान के लिए उसके बिल पैंडिंग पड़ते रहे और कई करोड़ों पर चले गए। जब करोड़ों के बिल का भुगतान बिहार सरकार ने नहीं किया तो हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ने इनका बिजली का बिल देना बंद कर दिया और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के तहत है उन्होंने इनको बिजली बंद करने की धमकी दी और बिजली बंद कर दी। पर फिर बैठकर एक फैसला हुआ कि या तो आप हमें बिस्कोमान से पैसा दिलवा दें तब हम भुगतान करेंगे या आप कन्टीनूअस जो एग्रीमेंट आपके साथ कन्टीनुअस बिजली की सप्लाई करें जिससे हमारा प्लांट अच्छी तरह से चल सके। उसका बदोबस्त करें। महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से मांग करना चाहता हूं जिसके तीन मुद्दे हैं। पहला है कि भारत सरकार ने 1988 को जो टर्न की बेसिस पर जो कंसलटैंट बैठाए थे वह हल्डोरेंट टोप्सो डेनमार्क के उनकी जो वायबिल्टी रिपोर्ट थी उसके तहत भारत सरकार, चूंकि यहां पर कैमिकल मिनिस्टर बैठे हुए हैं और वह 58 करोड़ रुपये देने का आश्वासन उस वक्त दिया गया था वह 58 करोड़ रुपया देकर उस कंपनी को वायबल बनाया जा सकता है और वहां के मजदूर जो कि रोज यहां चक्कर लगा रहे हैं वे कह रहे हैं कि किसी भी हालत में हम इसको वायबल बना देंगे क्योंकि जो बेसिक इनफ्रास्ट्रक्चर है वह हमें देने की जरूरत है, वह हमें बंदोबस्त कर दिया जाए।

दूसरा चूंकि मैं उस इलाके से आता हूं, नार्थ बिहार की एक बहुत बड़ी कंपनी है वह बंद हो जाने से नार्थ बिहार में फर्टिलाइजर यूनिट बंद हो जाएगा। तो इस कंपनी को 58 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार से दिलवाया जाए। साथ ही बिहार सरकार को अगर निर्देश दिए जा सकें या कैमिकल मिनिस्ट्री कोई दबाव डाल सके कि जितना भी बकाया बाकी है, जो खाद दी है और उसका पैसा नहीं दे रहा है वह उनको दिलवा दिया जाए और उन्हें इंटरप्शन फ्री पावर सप्लाई का बंदोबस्त या तो किया जाए या फिर उनको कैप्टिव पावर यूनिट लगाने की परमिशन दी जाए। उसके लिए जो भी अनुदान है वह दिया जाए।